किस्म मुकदमा ..... 225 ..... मु. नं0 ..... 82 ..... वर्ष ..... 2017 .....

दिनांक	आज्ञा पत्र	
3-11-17	अपील दर्ज रजिस्टर हो। मियाद का बिन्दू रिजर्व रहेगा । स्थगन प्रार्थना पत्र पर वकील अपीलान्ट को सुना गया । वकील अपीलान्ट के कथनो से प्रथम दृष्टया सन्तुष्ट होतु हुये न्यायहित में अपील को इसी स्तर पर स्वीकार कर रिमाण्ड किया जाना उचित मानते है । अदालत मातहत ने दिनांक3-9-2014 को एक पक्षीय अन्तरिम आदेश पारित किया । इसके बाद अदालत मातहत मे आज दिनांक तक रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रतिवादीगण/अप्रार्थी के नोटिस ही पेश किया जाना दर्ज नहीं है । जबकि अदालत मातहत ने अप्रार्थी सं0 1 से 27 की तामिल जरिये रजिस्टर्ड पत्र के करवाने के आदेश दिये हैं किन्तु प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट ने लगभग 3 वर्ष से अधिक का समय हो गया तामिल के प्रति कोई रूचि नहीं दिखाई है ।प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट ने योग्य अदालत मातहत के आदेश की पालना भी नहीं की है अतः हम अपीलान्ट की अपील को इसी स्तर पर स्वीकार कर रिमाण्ड किया जाना उचित मानते हैं । अतः अपील अपीलान्ट एडमीशन स्तर पर ही स्वीकार की जाकर विद्वान उप खण्ड अधिकारी दांतारामगढ का निर्णय दिनांक 3-9-2014 को खारिज किया जाता है तथा प्रकरण अदालत मातहत को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि वह प्रार्थना पत्र का अन्तिम रूप से निस्तारण 30 दिन मे करे । प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट अदालत मातहत मे अप्रार्थी गण के रजिस्टर्ड नोटिस पेश कर तामिल करवाये । पक्षकार अदालत मातहत में नियत पेशी पर उपस्थित होवे । निर्णय सुनाया गया । 3/11/17 (अम्बरराम मिहरड़ा) भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर	